

FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखंड अधिकारी मुकाम बयाना
 श्रीमती हेमलता आदि वनाम श्रीमती संगीता बगैरह
 केसम् मुकदमा प्रार्थना-पत्र 212 राज.टी.एक्ट रज.
 49/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.03.23	<p>एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 212 राज. टी. एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के हक में कयास आता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीखपेशी दिनांक 11.07.2023 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 लगायत 8 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम करवा बयाना, मुरकी, सीदपुर तहसील बयाना में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो और अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 11.07.2023 को पेश हो।</p>	
11 11/23	<p>उपरखण्ड अधिकारी बयाना (अ.ड.पुर)</p> <p>11 11/23 को प्रार्थी (अ.ड.पुर) को प्रार्थीगण (अ.ड.पुर) की वारकी कोर्ट पर पत्रावली के आगे गली पत्रावली को पेश करने के लिए 11/11/23 को पेश हो</p> <p>पुनाव कार्य में व्यस्त पीठासीन अधिकारी हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/11 को पेश हो</p> <p>सीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p>	

हुकूम या कार्यवाही गज इतिशियतत जज

नाम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकूम की तामील में
जाये हूये

~~लगावाई गरी आवाज उपरान्त हुकूम
में कोई उपर नही~~

उतः हुकूम हुजी हतर पर
अपन दायरी व अपन बरवी मे खारिज
किमा जाला ह्य फलपली फलल शुभार
हीकर गम्बर जे कम ह्य बाद-तकमील
तामिल कतर ही हुकूम